भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 679
28 नवंबर,2024 को उत्तर देने के लिए

पीएमकेएसवाई के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां

679. श्री थरानिवेंथन एम. एस.:
श्री मलैयारासन डी.:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु सहित देश भर में प्रधान मंत्री किसान सम्पदा योजना (पीएमकेएसवाई) के तहत स्थापित खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की संख्या कितनी है;

(ख) इस योजना के तहत आवंटित कुल धनराशि कितनी है और लक्षित क्षेत्र का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना के तहत अरणी और कल्लाकुरुचि निर्वाचन क्षेत्र सहित अब तक कितने किसानों और उद्यमियों को लाभ हुआ है;

(घ) इन खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की संवहनीयता और वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जा रहे हैं; और

(ङ.) क्या सरकार का विचार आने वाले वर्षो में इस योजना में और अधिक क्षेत्रों और खाद्य श्रेणीयों को शामिल करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क), (ख) और (ग): प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना (पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत तमिलनाडु सहित देश भर में 1187 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को अनुमोदित किया गया है। पीएमकेएसवाई की घटक योजनाओं में शीघ्र खराब होने वाली बागवानी फसलों, दूध एवं दूध उत्पादों, मांस एवं मुर्गी पालन, अंतर्देशीय एवं समुद्री जलीय कृषि, मिलेट्स, मसाले, अनाज मिलिंग, ऑयल मिलिंग, उपभोक्ता उत्पाद, रेडी टू ईट, रेडी टू कुक आदि का प्रसंस्करण शामिल है। अरनी (तिरुवन्नमलाई जिला) में पीएमकेएसवाई के अंतर्गत 1 परियोजना को अनुमोदित किया गया है और परियोजना के पूरा होने पर 4000 किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है। अरनी (विलुप्पुरम जिला) और कल्लकुरुचि निर्वाचन क्षेत्रों में पीएमकेएसवाई के अंतर्गत कोई परियोजना अनुमोदित नहीं है। अनुमोदित खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों, आवंटित निधि (अनुमोदित सब्सिडी) और लाभान्वित होने वाले किसानों का विवरण **अनुबंध** में दिया गया है ।

(घ): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय अवसंरचना सृजन, बिक्री आधारित प्रोत्साहनों के अनुदान, क्षमता विस्तार और अन्य सहायक उपायों के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए योजनाओं को कार्यान्वित्त कर रहा है। ये योजनाएँ हैं: प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई), प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई)।

(ङ): पीएमकेएसवाई की घटक योजनाएं मांग आधारित हैं। इन घटक योजनाओं के तहत समय-समय पर निधि की उपलब्धता के आधार पर अभिरुचि की अभिव्यक्ति जारी की जाती है। देश भर से पात्र संस्थाएं आवेदन कर सकती हैं और लाभ उठा सकती हैं। पीएमकेएसवाई में खराब होने वाली बागवानी फसलों, दूध और दूध उत्पादों, मांस और मुर्गी पालन, अंतर्देशीय और समुद्री जलीय कृषि, मिलेट्स, मसाले, अनाज पिसाई, ऑयल मिलिंग, उपभोक्ता उत्पाद, रेडी टू ईट, रेडी टू कुक आदि का प्रसंस्करण/परिरक्षण शामिल है।

*****

अनुबंध

दिनांक 28 नवंबर, 2024 को उत्तर हेतु "पीएमकेएसवाई के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां" के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 679 के भाग (क), (ख) और (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अनुमोदित परियोजनाएँ	अनुमोदित जी.आई.ए. (करोड़ में)	जारी जी.आई.ए. (करोड़ में)	लाभांवित्त होने वाले किसान
1	अंडमान और निकोबार	1	2.81	2.81	9552
2	आंध्र प्रदेश	72	777.95	431.27	437534
3	अरुणाचल प्रदेश	12	82.51	25.38	23555
4	असम	83	443.44	221.46	87169
5	बिहार	14	161.83	96.87	57206
6	चंडीगढ़	0	0.00	0.00	0
7	छत्तीसगढ	9	83.76	61.32	28664
8	दादर एवं नगर हेवेली और दमन एवं दीव	1	3.64	3.47	120
9	दिल्ली	0	0.00	0.00	0
10	गोवा	1	2.91	2.76	54
11	गुजरात	85	624.98	487.21	390060
12	हरियाणा	49	365.93	244.76	236550
13	हिमाचल प्रदेश	40	293.32	230.21	185495
14	जम्मू और कश्मीर	29	171.35	130.63	62891
15	झारखंड	0	0.00	0.00	0
16	कर्नाटक	52	371.59	260.81	194867
17	केरल	37	275.10	184.44	94668
18	लद्दाख	0	0.00	0.00	0
19	लक्षद्वीप	0	0.00	0.00	0
20	मध्य प्रदेश	48	374.28	236.29	151234
21	महाराष्ट्र	203	1303.52	821.69	1070553
22	मणिपुर	6	57.08	20.23	10900
23	मेघालय	5	60.33	11.35	1905
24	मिजोरम	4	66.32	59.17	19950
25	नागालैंड	5	77.39	49.67	35450
26	ओडिशा	21	207.05	140.47	95393
27	पुडुचेरी	0	0.00	0.00	0
28	पंजाब	52	398.81	326.01	258489
29	राजस्थान	52	317.03	172.34	168354
30	सिक्किम	0	0.00	0.00	0
31	तमिलनाडु	84	441.55	248.60	494023
32	तेलंगाना	47	372.34	199.33	187479
33	त्रिपुरा	6	63.06	57.99	564
34	उत्तर प्रदेश	79	473.09	316.28	340629
35	उत्तराखंड	55	469.28	427.40	332578
36	पश्चिम बंगाल	35	223.39	170.51	151511
	कुल	**1187**	**8565.64**	**5640.73**	**5127397**

*****